



## प्रेस विज्ञप्ति

21.01.2025

ईडी, जम्मू ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) मामले में 14.93 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के पटनीटॉप (जम्मू और कश्मीर) स्थित होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स और होटल ग्रीन ऑर्किड को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, जम्मू द्वारा पटनीटॉप क्षेत्र में होटलों/गेस्ट हाउस/रिसॉर्ट्स/कॉटेज/ आवासीय भवनों के विभिन्न मालिकों/निदेशकों और पीडीए के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, कि ऐसे होटल/गेस्ट हाउस/रिसॉर्ट/आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग, स्वीकृत सीमाओं से अधिक निर्माण, निषिद्ध क्षेत्रों (घने जंगल, कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र) आदि में व्यवसाय संचालित करने में लिप्त थे, जिसमें पीडीए अधिकारियों द्वारा अनुपालन की खामियों को नजरअंदाज किया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स और होटल ग्रीन ऑर्किड पीडीए द्वारा अनुमत क्षेत्र से अधिक में बनाए गए थे। दोनों ने अनुमोदित सीमा से अधिक अवैध निर्माण किया था और अवैध रूप से अतिक्रमण की गई भूमि का अधिग्रहण किया था, जबकि इसका उपयोग करके राजस्व उत्पन्न किया था। अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि और उससे अर्जित राजस्व जो अपराध की आय है, को जब्त कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।

